

प्रेषक,

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 08 जनवरी ,2018

विषय- जनपद बलिया में पारिवारिक न्यायालय के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0- /2017/1208/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(54)/2011, दिनांक 24 दिसम्बर 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से जनपद बलिया में पारिवारिक न्यायालय के निर्माण हेतु ₹0121.90 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलिया में पारिवारिक न्यायालय के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन ₹0121.90 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि ₹0109.09 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि ₹012.81 लाख व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- चूंकि उक्त अनुरक्षण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता है ।
- 2- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।
- 3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 5- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6; भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

7;प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

8 ;शासनादेशसं0-04/2018/1208/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(54)/2011, दिनांक 05 जनवरी ,2018की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

सं0- 08 /2017/ 1208 (3)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के माध्यम से ।
- 6- जनपद न्यायाधीश बलिया / वित्त ई- 12 ।
- 7- निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 30प्र0 जल निगम लखनऊ ।
- 8- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 30प्र0 जल निगम आजमगढ़ ।
- 9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।